"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 16, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्रमांक 8336/डी. 195/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-08-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 14 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख पर प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 132 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 132 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(एक) खण्ड (च) में, कोलन चिन्ह ":" के स्थान पर, अर्धविराम चिन्ह ";" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(छ) कर, जिसे मनोरंजन कर कहा जाता है, जो दूरदर्शन से भिन्न केबल टीवी तथा डायरेक्ट टू होम (डी2एच) टेलीविजन सेवा प्रदाताओं द्वारा देय हो;

(ज) विज्ञापन सेवा प्रदाताओं द्वारा आऊटडोर विज्ञापनों पर जिसमें होर्डिंग शामिल है, पर देय उपकर :

स्पष्टीकरण :- समाचार पत्रों में प्रकाशित अथवा टेलीविजन पर प्रदर्शित विज्ञापन सम्मिलित नहीं होंगे."

(ख) उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(5-क) उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन कर का रोपण ऐसे दरों तथा ऐसी रीति में किया जायेगा जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाये :

परंतु यह कि राज्य शासन ऐसी शर्तों एवं ऐसी कालावधि हेतु, जैसा कि वह आवश्यक समझे, अन्य विभाग या एजेंसी को निगम की ओर से उक्त खण्ड के अधीन कर संग्रहण हेतु अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकेगा.

(5-ख) उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन कर के संबंध में आयुक्त के किसी भी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, राज्य शासन के समक्ष ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर जैसा कि इस संबंध में नियमों द्वारा विहित किया जाये, अपील कर सकेगा."

(ग) उप-धारा (6) में, खण्ड (ठ) तथा (ड) का लोप किया जाये.

3. मूल अधिनियम की धारा 292-ख में, उप-धारा (1) में, खण्ड (क) एवं (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

धारा 292-ख का संशोधन.

"(क) नगरपालिक क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, कुल क्षेत्र में से पंद्रह प्रतिशत भूमि, आयुक्त को अन्तरित किया जायेगा अथवा निर्मित आवास गृह, पात्र हितग्राहियों को ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी रीति में अंतरित किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए :

परंतु यह कि ऐसे आवास गृहों का आकार, अवस्थिति एवं संख्या एवं अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए.

(ख) ऐसी भूमि के संबंध में, जिस पर नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) लागू था, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) द्वारा भूमि को आयुक्त को अंतरित किया जायेगा अथवा निर्मित आवास गृह, पात्र हितग्राहियों को ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर अंतरित किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए."

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2017

क्रमांक 8336/डी. 195/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 14 of 2017)

CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2017

An Act further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2017.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of Section 132.

2. In the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 132,-

(a) in sub-section (1), -

(i) in clause (f), for the punctuation colon ":", the punctuation semi-colon ";" shall be substituted; and

(ii) after clause (f), the following shall be inserted, namely :-

"(g) a tax to be called the entertainment tax, payable by service providers of cable T. V. and direct to home (D2H) television services other than Doordarshan;

(h) a cess payable by advertising service providers on outdoor advertisements including hoardings :

Explanation :- Advertisement published in newspapers or telecast on the television shall not be included."

(b) after sub-section (5), the following shall be inserted, namely :-

"(5-A) The tax under clause (g) of sub-section (1) shall be levied at such rates and in such manner, as may be prescribed by the rules:

provided that the State Government may appoint, on such terms and for such period as it may deems necessary, another department or any agency as an agent to collect the taxes under said clause on behalf of the Corporation.

(5-B) Any person aggrieved by any order of the Commissioner in respect of tax under clause (g) of sub-section (1) may file an appeal before the State Government in such manner and within such time as may be prescribed by rules in this regard."

(c) in sub-section (6), clauses (l) and (m) shall be omitted.

3. In Section 292-B of the Principal Act, in sub-section (1), for clause (a) and (b), the following shall be substituted, namely :-

Amendment of Section 292-B.

"(a) In every residential colony in the municipal area, out of the total area fifteen percent of land shall be transferred by the colonizer to the Commissioner for economically weaker sections or, alternatively, have to transfer constructed houses to eligible beneficiaries on such terms and in such manner as may be prescribed :

provided that the size, location and number of such houses and other conditions, shall be such as may be prescribed by the State Government.

(b) In respect of land on which Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (No. 33 of 1976) was applicable, the colonizer shall have to transfer land to the Commissioner or transfer constructed houses to eligible beneficiaries in such manner and on such terms as may be prescribed."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.